न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील सं. 52/2018

सी.आई.एस. नम्बर 51/2018

1. श्रीमती अवजीला पत्नी रिजवान खां पुत्री रूस्तम
2. अतीमन पत्नी इलियास पुत्री रूस्तम,

निवासी झारेड़ा हालवासी मूण्डपुरी कला थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर

..... अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

1. रिजवान पुत्र ईशब खां उम्र करीब 25 साल,
2. इलियास खां पुत्र ईशब खां उम्र करीब 21 साल,
3. ईशब खां पुत्र चाव खां उम्र ..... **(फौत)**
4. जुबेदा उर्फ कुटको पत्नी ईशब खां उम्र करीब 50 साल,

निवासियान झारेड़ा थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर

.... रेस्पोडेन्ट/अभियुक्तगण

अपील विरूद्ध दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 17.08.2018 मुकदमा संख्या 01/2012 सरकार बनाम रिजवान वगैरा, अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.सं. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ, पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सोनी, आर.जे.एस.

उपस्थित :–

1. श्री फिरोज खान, अधिवक्ता अपीलार्थी–परिवादी की ओर से
2. श्री अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से
3. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक–18.03.2026**

01. अपीलार्थीगण/परिवादी श्रीमती अवजीला व अतीमन की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 17.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया अबजीला ने एक परिवाद अबजीला बनाम रिजवान व अन्य प्रदर्श पी 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर थाना लक्ष्मणगढ पर धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत इस आशय का प्रेषित करवाया कि परिवादिया का निकाह अभियुक्त इलियास के साथ व छोटी बहिन अतीमन का निकाह अभियुक्त इलियास के साथ दिनांक 02.06.2003 को ग्राम मूण्डपुरी थाना गोविन्दगढ में संपन्न हुआ था। जिस निकाह में परिवादिया के पीहर पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़–चढ़कर दान दहेज सूची क दिया गया था, जिस दहेज में सामान में मुख्यतः ट्रेक्टर मैसी डीआई तथा 32 हजार रूपए नकद दिये थे। परिवादनी का अभियुक्त सं. 1 पति, अभियुक्त सं. 2 देवर, अभियुक्त सं. 3 ससुर, अभियुक्त सं. 4 सास, अभियुक्त सं. 5 व 6 ननद तथा अभियुक्त सं. 7 ननदोई हैं। निकाह के आरम्भ से ही परिवादनी को सभी अभियुक्तगण दहेज कम देने के लिए ताना देने लगे और कहने लगे कि निकाह पूर्व हमारी बात बोलेरो गाडी व नकद में कम से कम 2,51,000 रूपए देने की थी। शादी में बोलेरो की जगह कम कीमत का ट्रेक्टर दे दिया और नकद भी कम दिया है, जिससे बिरादरी में हमारी नाक कटवादी है और परिवादनी से कम दहेज की पूर्ति के लिए 5 लाख रूपए अपने पीहर से और लाने के लिए कहा गया तथा परिवादनी के साथ मानसिक व शारीरिक यातनाऐं देते। जिन्हें परिवादनी के पीहर पक्ष ने सामाजिक स्तर पर समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया व अपमानित किया तथा दहेज की मांग जारी रखी। परिवादनी की छोटी बहिन अतीमन के गौने में भी मोटरसाईकिल, फ्रीज, एक भैंस तथा 16 हजार रू. नकद दिये ताकि अभियुक्तगण संतुष्ट हो सकें, लेकिन अभियुक्तगण की भूख शान्त नहीं हुई तथा परिवादनी व उसकी बहिन अतीमन को मारापीटा जाता रहा व परिवादनी का गोली देकर गर्भपात कराया तथा हॉस्पिटल का खर्च परिवादनी के पीहर पक्ष ने किया। दिनांक 02.06.2011 को परिवादनी के पीहर पक्ष वालों ने भी उक्त सभ बातों को अनदेखा कर हम दोनों बहिनों के परिवार को बसाने के लिए अभियुक्तों को समझाईश के लिए ग्राम मूण्डपुरी बुलाया जिस पर अभियुक्तों ने स्पष्ट कहा कि जब तक दहेज में 5 लाख रूपए नहीं दोगे तब तक दोनों लड़कियों के साथ इसी तरह बर्ताव किया जाएगा। परिवादनी ने अपने तमाम स्त्रीधन की मांग अभियुक्तों से की

तो अभियुक्तों ने दहेज का सामान भी लौटाने से मना कर दिया ..... इत्यादि रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2011 दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्तगण रिजवान, इलियास, ईशब व जुबेदा उर्फ कुटको के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण को धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन की ओर से पी.ड. 1 अबजीला, पी.ड. 2 अतीमन, पी.ड. 3 डॉ. ऋचा गुप्ता, पी.ड. 4 हज्जी, पी.ड. 5 धौला खां, पी.ड. 6 रूस्तम, पी.ड. 7 जुबेर, पी. ड. 8 ममरेज, पी.ड. 9 हाजर खां, पी.ड. 10 मंगलराम, पी.ड. 11 नासिर, पी.ड. 12 राजूदीन, पी.ड. 13 धर्मवीर के बयान कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श पी 11ए दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया व साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया लेकिन बावजूद अवसर साक्ष्य प्रतिपरक्षा में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर बंद की गयी तथा दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 3 को प्रदर्शित करवाया गया।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2018 को अभियुक्तगण को धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया। उक्त दोषमुक्ति से व्यथित होकर अपीलार्थी/परिवादिया की ओर से यह अपील अभियक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

07. बहस अपील सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पारित आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

08. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–परिवादिया ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी/परिवादिया के पिता ने निकाह में अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज देकर शादी की थी। अगर परिवादिया या उसके पिता को रिश्ता बिगाड़ना ही था तो वह न तो इतना दहेज देता और न ही

ही वह निकाह से लेकर मुकदमा दर्ज करने तक की देरी जो हुई है उसे नहीं होने देता और जब भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी तो उसी समय मुकदमा दर्ज कराकर रिश्तेदारी को समाप्त कर लेता लेकिन अपीलार्थी ने सोचा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। परिवादिया के ईलाज बाबत तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं किया तथा महिलाओं को दहेज के कारण अनायास ससुराल पक्ष परेशान करते रहते हैं जो अपराध आये दिन बढ़ते ही जा रहे हैं तथा अपराध करके मुलजिमान दोषमुक्त होने से आम जनता में गलत धारणाऐं पड़ती है और इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाएगा। प्रत्यर्थीगण द्वारा 5 लाख रूपए की मांग की गयी थी जो काफी बडी रकम थी, जबकि अपीलार्थी के पिता पूर्व में ही ट्रेक्टर प्रत्यर्थीगण को कमाने खाने को दे चुका था तथा छोटी बहिन के गौने में एक मोटरसाईकिल व भैंस, नकद रूपए दिये थे। अभियोजन साक्षियों ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर अपीलार्थीगण के प्रति क्रूरता कारित किये जाने व उनके स्त्रीधन का बेईमानीपूर्वक दुविर्नियोग किये जाने के संबंध में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की है, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त किये जाने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

09. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

10. अभियोजन साक्ष्य के अनुसार परिवादिया/अपीलार्थी अबजीला व प्रत्यर्थी रिजवान तथा परिवादिया की छोटी बहिन अतीमन व प्रत्यर्थी इलियास का करीब 11 वर्ष पूर्व निकाह होना प्रकट होता है। किन्तु अपीलार्थी अबजीला ने अपने बयानों में जहां शादी के 6 माह तक उसे ठीक तरह से रखना उसके बाद अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग करना व 5 लाख रूपए लेकर आने की साक्ष्य दी है, जबकि पी.ड. 4 हज्जी जो कि परिवादिया का पिता है, जिसने शादी के बाद से ही अबजीला को रिजवान, ईशब, जुबेदा के द्वारा मारपीट करने व दहेज की मांग करने के कथन

किये हैं तथा पी.ड. 4 रूस्तम ने शादी के 2–4 माह बाद से लड़की को रिजवान, इलियास, सास, ननद, ससुर द्वारा 5 लाख रूपए व बोलेरो की मांग करने की साक्ष्य दी है एवं इस साक्षी ने अपने उक्त कथनों का खण्डन करते हुए आगे कहा है कि मांग गौने के बाद करने की साक्ष्य दी है जबकि पी.ड. 2 अतीमन ने उसका गौना वर्ष 2008 मे होना बताया है, अतः उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षकारान का निकाह 02.06.2003 को होना पत्रावली पर आयी साक्ष्य से प्रकट होता है। इसके साथ ही पी.ड. 2 अतीमन ने यह अपने बयानों में यह भी जाहिर किया है कि अबजीला जब पीहर आती तो अपने मॉ–बाप, भाईयों को लेन–देन की बात बताती, किन्तु उसे नहीं बताती थी। उक्त साक्षी अतीमन ने यह भी जाहिर किया है कि शादी के 8 साल तक अबजीला ससुराल में रही केवल 2–4 दिन के लिए घर आती थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के इस कथन से यह भी प्रकट होता है कि यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा अबजीला को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता अथवा दहेज में 5 लाख व बोलेरो गाडी की मांग की जाती तो उसकी बहिन अतीमन को इस तथ्य की अवश्य की जानकारी होती, जबकि स्वयं अतीमन, अबजीला के देवर इलियास के साथ उसका निकाह व गौना उसी घर में हुआ है, किन्तु अबजीला के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अबजीला व उससे दहेज में 5 लाख रूपए व बोलेरो की मांग की गयी हो और उनके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता कारित की गयी हो। क्योंकि अबजीला ने शादी राजीखुशी होना व जो सामान दिया था वह उसके पिता द्वारा राजीखुशी दिया जाना कथन किया है, अतः परिवादिया अबजीला के उक्त कथनों से उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्य की ताईद नहीं होती है कि निकाह के पूर्व उनकी बात बोलेरो गाडी व नकद 2 लाख 51 हजार रू. की हुई थी। स्वयं परिवादिया अबजीला व उसकी बहिन अतीमन व पी.ड. 6 रूस्तम के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि परिवादिया के जो बच्चा हुआ वह रिजवान से पैदा हुआ जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष होना परिवादिया अबजीला ने साक्ष्य में बताया है जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त बच्चा वर्ष 2008 में पैदा हुआ जो कि उनके मध्य परस्पर प्यार प्रेम को दर्शाता है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि अतीमन का गौना वर्ष

2008 में होना साक्ष्य से जाहिर होता है, किन्तु जिस घर में अबजीला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा हो तो उसी घर में अतीमन का गौना करने हेतु उन्हीं व्यक्तियों पर दबाव बनाना जो क्रूरता का व्यवहार करते हैं, युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि परिवादिया द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 1 इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 04.07.2011 से पूर्व प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत, रिपोर्ट किसी भी स्तर पर उनके साथ क्रूरता कारित किये जाने के संबंध में की गयी हो। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं उसके बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं तथा परिवादिया के कथनों का समर्थन अन्य परीक्षित साक्षियों के कथनों से नहीं होता है, बल्कि एक–दूसरे के परस्पर गंभीर विरोधाभासी बयान दिये हैं तथा उक्त साक्षीगण के मुख्य परीक्षण के कथन उनके प्रतिपरीक्षण के दौरान भी खण्डित हुए हैं एवं परिवादिया के साथ मारपीट व दहेज की मांग कब–कब की गयी इस संबंध में गंभीर विरोधाभास पत्रावली पर आयी साक्ष्य से प्रकट होता है तथा चिकित्सीय साक्षी डॉ. ऋचा गुप्ता ने भी अपने बयानों में स्पष्ट जाहिर किया है कि जब अबजीला उसके पास आई तब उसके शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं थे। इसके साथ ही प्रत्यर्थी रिजवान द्वारा प्रदर्श डी 3 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बाबत दावा भी पेश किया जाना प्रकट होता है, जिससे भी यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी रिजवान उसकी पत्नी अबजीला को अपने साथ रखने व पारिवारिक जीवन जीने का इच्छुक था। साथ ही परिवादिया ने प्रदर्श डी 1 दान पत्र व प्रदर्श डी 2 बयनामा व प्रदर्श डी 3 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बाबत दावा के बाबत अपने प्रतिपरीक्षण में अनभिज्ञता जाहिर की है, किन्तु उक्त दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद हैं, प्रदर्श डी 1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादिया की सास जुबेदा द्वारा उसके पौत्र तथा अबजीला व रिजवान के पुत्र एवं आसिफ के नाम उसके खातेदारी की आराजी का ख.नं. 28/ 4–10 का 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित किया गया है तथा प्रदर्श डी 2 परिवादिया अबजीला के ससुर ईशब पुत्र चाव खां द्वारा अबजीला के पक्ष में उसके खातेदारी की आराजी ख.नं. 113/0.18 का रकबा 18 बिस्वा का रजिस्टर्ड बयनामा अभिलेख पर मौजूद है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी अभियोजन का

मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

11. प्रकरण में जहां तक धारा 406 भा.द.सं. का प्रश्न है तो इस संबंध में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी 6 के साक्षी रहे नासिर व ममरेज ने उक्त फर्द को साक्ष्य में साबित नहीं किया है तथा जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि उसके सामने पुलिस ने दहेज का सामान व ट्रेक्टर जप्त नहीं किया, उनके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। पी.ड. 5 धौला खां ने भी जिरह में जाहिर किया है कि उसके सामने दहेज के किसी सामान को जप्त नहीं किया गया। पी.ड. 2 अतीमन ने फर्द जप्ती दहेज सामान के संदर्भ में कोई समर्थनकारी साक्ष्य पेश नहीं की है। साथ ही परिवादिया अबजीला ने अपने बयानों के मुख्य परीक्षण में भी इस तथ्य को जाहिर नहीं किया है कि उसने अपने स्त्रीधन की मांग अभियुक्तगण से की हो और उनके द्वारा लौटाने से इनकार किया हो। अतः अभियोजन साक्ष्य से धारा 406 भा.द.सं. के आवश्यक तत्व भी साबित होना नहीं पाये जाते हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–परिवादिया ने बहस के दौरान ऐसे कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किस अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराधों की ताईद होती है तथा उनके कथनों से किस प्रकार अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित होता है तथा न ही अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील में ऐसा कोई तथ्य वर्णित किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण में किस प्रकार विधि एवं तथ्य की भूल की है। जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.सं. के घटक तत्वों पर परीक्षित समस्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है, जो किसी भी दृष्टि से विधि एवं तथ्य की भूल से ग्रसित नहीं है तथा पारित आलौच्य निर्णय की दोषमुक्ति संपुष्ट किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.08.2018 की पुष्टि की जाती है एवं

अपीलार्थीगण/परिवादिया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

13. फलतः अपीलार्थी/परिवादिया श्रीमती अवजीला व अन्य की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान/अभियुक्तगण रिजवान व अन्य दिनांकित 17.09.2018 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 17.08.2018 की संपुष्टि की जाती है। प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल वजह सबूत हो तो वह बाद गुजरने अवधि अपील/रिविजन नियमानुसार नष्ट किया जावे एवं अपील होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(गोपाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश
लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

14. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश
लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर